भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3400

उत्तर देने की तारीख : 21.03.2023

मानसिक स्वास्थ्य समस्या

3400. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मादक पदार्थों अथवा एल्कोहल के दुरुपयोग को मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देती है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश में इसके वित्तपोषण सहित सरकार द्वारा इस मुद्दे से निपटने के लिए, उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) शराब या अन्य मादक पदार्थों के आदी लोगों को नशामुक्ति हेतु उनके कठिन जीवन पर चर्चा करने का सुरक्षित अवसर देने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई विशिष्ट निधि आबंटित की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): भारत के मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम (एमएचसीए), 2017 में मानसिक रुग्णता को "चिंतन, मन:स्थिति, अनुभूति, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा पर्याप्त विकार अभिप्रेत है, जिससे निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, मद्यपान और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सहबद्ध मानसिक दशा अत्यधिक क्षीण हो जाती है किंतु इसके अंतर्गत ऐसी मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के चित अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की ऐसी दशा है जिसे विशेष रूप से बुद्धिमता की अवसामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है", के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, नशीले पदार्थ के दुरुपयोग संबंधी विकारों को भारत में मानसिक रुग्णता की परिभाषा में शामिल किया गया है।

(ख): सरकार द्वारा इस मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में इसके लिए निधियन सहित, का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित ड्रग की मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) स्कीम के अनुसार मंत्रालय अनुदान सहायता के माध्यम से आउटरीच तथा ड्रॉप-इन सेन्टर (ओडीआईसी) की वित्तीय सहायता करता है। ये ओडीआईसी स्क्रीनिंग, मूल्यांकन तथा परामर्श के साथ नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु उपचार तथा पुनर्वास का सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराते हैं तथा उसके बाद नशीले पदार्थ निर्भरता के लिए उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं हेतु रेफरल और लिंकेज सुविधा उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल देश में 71 ओडीआईसी हैं जिन्हें मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

(घ) और (ड.): जैसा कि भाग (ख) में उल्लेख किया गया है, एनएपीडीडीआर स्कीम के लिए आवंटित निधियों में ओडीआईसी परियोजनाओं को चलाने हेतु एनजीओ/वीओ को जारी निधियां भी शामिल हैं। एनएपीडीडीआर स्कीम में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार ओडीआईसी के संचालन हेतु पात्र एनजीओ/वीओ को निधियां जारी की जाती हैं जिनका पात्रता मानदंड के अनुसार मंत्रालय द्वारा चयन किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 21.03.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3400 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बच्चों तथा महिलाओं के मध्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या का समाधान करने के लिए ड्रग की मांग में कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तैयार करके कार्यान्वित की है, जिसके अंतर्गत सरकार युवाओं तथा महिलाओं के मध्य नशीले पदार्थ के दुरुपयोग की समस्या को रोकने के लिए एक सतत तथा समन्वित कार्रवाई कर रही है। इसमें शामिल हैं :-

क. सर्वाधिक असुरक्षित 372 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत 8000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामुदायिक संपर्क किया जा रहा है। अब तक 9.54 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई है, जिनमें से 3.12 करोड़ युवाओं और 2.06 करोड़ महिला तथा 3.14 लाख शैक्षिक संस्थान शामिल हैं। **नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 8 जिले अर्थात् विशाखापट्टन, पूर्वी गोदावारी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, चित्तूर, अनन्तपुर, नेल्लौर पहचाने गए हैं।**

ख. नशामुक्ति के लिए 340 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) मंत्रालय द्वारा सहायता-प्राप्त हैं। ये आईआरसीए न केवल ड्रग पीड़ितों के इलाज के लिए सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि निवारक शिक्षा, जागरूकता पैदा करने, प्रेरक परामर्श, डिटॉक्सिफिकेशन/नशामुक्ति, देखभाल और समाज की मुख्यधारा में पुन: एकीकरण संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। **मंत्रालय महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष नशामुक्ति केन्द्र हेतु सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में 10 आईआरसीए संचालनरत हैं।**

ग. मंत्रालय द्वारा 48 समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्र सहायता-प्राप्त हैं। ये सीपीएलआई असुरक्षित और जोखिम ग्रस्त बच्चों और किशोरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अंतर्गत पीयर एजुकेटर्स जागरूकता पैदा करने और जीवन कौशल कार्यकलापों के लिए बच्चों को व्यस्त रखते हैं। **वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में 4 सीपीएलआई संचालनरत हैं।**

घ. मंत्रालय द्वारा 71 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) सहायता-प्राप्त हैं। ये ओडीआईसी नशीले पदार्थों के पीड़ितों के उपचार तथा पुनर्वास के लिए सुरक्षित तथा संरक्षित स्थान का प्रावधान करते हैं जहां स्क्रीनिंग, मूल्यांकन तथा परामर्श और तत्पश्चात नशीले पदार्थों पर निर्भरता से छुटकारा पाने के लिए उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं हेतु रेफरल तथा लिंकेज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। **वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में 4 ओडीआईसी संचालनरत हैं।**

ङ. मंत्रालय कुछ सरकारी अस्पतालों में 46 नशा उपचार सुविधाओं (एटीएफ) की स्थापना में भी सहायता करता है, जिसे एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। **वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में 1 एटीएफ संचालनरत हैं।**

च. मंत्रालय द्वारा इस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता के इच्छुक व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए नशामुक्ति हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 का रखरखाव किया जा रहा है।

छ. मंत्रालय अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे एससीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र का आयोजन करता है।

2. मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु ड्रग की मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना हेतु 200 करोड़ रुपए (दो सौ करोड़ रुपए) आवंटित किए हैं। निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं है। **अब तक एनएपीडीडीआर स्कीम के अंतर्गत आईआरसीए/ओडीआईसी/ सीपीएलआई परियोजनाओं के संचालन हेतु आंध्र प्रदेश के विभिन्न एनजीओ/वीओ हेतु 2.39 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।**

*****